संख्याः जी–2–126/दस–2012

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2012

विषयः **सामान्य भविष्य निधि से संबंधित डेबिट वाउचरों में त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।**

महोदय,

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि डेबिट वाउचरों के कतिपय प्रकरणों में अभिदाता की खाता संख्या व अन्य विवरण सही–सही अंकित नहीं किया जाता है। फलस्वरूप इनका पुस्तांकन अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे में नहीं हो पाता है तथा आहरित धनराशि उचन्त लेखे में पुस्तांकित करनी पड़ती है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ऐसे प्रकरणों में उत्तर दायित्व का निर्धारण एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा भविष्य में डेबिट वाउचरों में समस्त विवरण सही–सही अंकित करवाना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

–2–

संख्या–जी–2– 126 (1)/दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव